BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)

Original Application No.207/2024(CZ)

ANKIT TAMARKAR ……. **APPLICANT**

V/S

STATE OF MADHYA PRADESH& ORS ……**RESPONDENT**

INDEX

Sr.	PARTICULARS	ANNEXURE	PAGE NO.
1.	Joint Committee Report in Compliance of Order Passed by Hon'ble Tribunal Dated 04.09.2024		1-6
2.	Nomination order of representative of District Collector Office, District Chattarpur dated 18.09.2024.	ANNEXURE-1	7
3.	Photographs of the inspection by Joint Committee dated 07.10.2024	ANNEXURE-2	8-15
4.	Panchnama of the Inspection dated 07.10.2024	ANNEXURE-3	16-17
5.	Documents of allocation of Khasra no. 832 a for the construction of public toilet in Patera.	ANNEXURE-4	18-25
6.	Report of the Chief Municipal Officer, Nagar PallikaParishad, Patera on issues raised in the present OA	ANNEXURE-5	26-43
7.	Map of the Site	ANNEXURE- 6	44

BHOPAL

15.10.2024

JOINT COMMITTEE REPORT

In the Matter of

Original Application No.207/2024
'ANKIT TAMARKAR V STATE OF MP &Ors.'

Hon`ble National Green Tribunal Principal Bench
order dated 4th September, 2024

Location: Khasra No. 832, Village Patera, TehseelPatera, District Damoh (M.P.)

DATE OF VISIT: 07/10/2024

JOINT COMMITTEE CONSISTING OF

1. Rakesh Singh Markam SDM, Tehsil Hatta District Damoh, MP.
2. K.P. Soni, Regional Officer, MP PCB Regional Office, Sagar.

JOINT COMMITTEE REPORT IN THE MATTER OF "ANKIT TAMARKARV STATE OF MP &Ors"

Background:

1. That the present application has been filed by Shri Ankit Tamarkar regarding with the allegation that the Municipal Council of Patera, District Damoh (M.P.) intentionally anddeliberately filling the solid waste with debris in Khasra No. 832which is recorded as water body in the revenue records. This waterbody is a source of availability of the water for the public and variousliving creatures and it is used for rituals ablutions at the nearbyGanesh Temple and Shani Temple. This filling with the solid waste isintended to change the nature of the land to be used for commercialpurposed. The respondent has also constructed some toilet in thewater body discharging the untreated water into the water bodywithout any treatment in violation of Water Act.

2. That the Hon'ble NGT vide order dated 04.09.2024 had ordered for a joint committee report by directing as follows:

   "7. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-
   i. One representative from the District Damoh(M.P.),
   ii. One Representative from the One representative from the Madhya Pradesh State PollutionControl Board.
   8.The Committee is directed to visit the place and submit the factual andaction taken report within six weeks. The State PCB will be the nodalagency for coordination and logistic support."

   In compliance of the above order the following representatives were appointed to the joint committee in the present case:

   (1) Shri Rakesh Singh Markam, SDM, District Damoh, (MP).
   (2) Shri K.P. Soni, Regional Officer, MP PCB Regional Office, Sagar.

   The order of appointment of OIC from District Damoh dated 18.09.2024 is filed herewith as **Annexure -1.**

3. That in compliance of the Hon’ble NGT order the joint committee had visited the site at Khasra No. 832 admeasuring area 0.14 Hectares situated in Nagar Pallika Parishad Patera, District Damoh on 07.10.2024. The photographsof the inspection of the committee are enclosed herewith as **Annexure-2**.

4. That during the inspection of the committee a few local residents were also present and they had apprised the committee members regarding the factual situation of the case. The panchnama was made during the inspection is enclosed as **Annexure-3**.

Factual Observations:

5. Along with the members of the joint committee, Sundar Lal Soni, Chief Municipal Officer, Nagar Pallika Parishad -Patera, District Damoh, MP and other officials from the revenue office and the local municipal bodywerepresent during the inspection. The facts as observed by the committee as follows:

5.1 The land bearing Khasra No. 832 admeasuring area 0.14 Hectares situated in Village Patera, Tehseel Patera, District Damoh is a government land which is situated near the Patera Bus Stand.

5.2 That the dirty water from the shops situated near the Patera Bus stand flows and gets accumulated into this land. It contains dirty water and it is nor used as a source of drinking water for villagers and variousliving creatures and neither it is used for rituals ablutions at the nearbyGanesh Temple and Shani Temple, as claimed by the applicant.

5.3 That the lake situated at the nearby land bearing khasra no. 747 admeasuring 7.05 Hectares is used by the residents and other living creatures in this place. This lake is situated behind the SankatMochan

Temple which is almost 50 metres from the land with which the present case is concerned (Khasra No. 832).

5.4 That the dirty water accumulated in Khasra No. 832 admeasuring area 0.14 Hec. becomes a breeding ground for mosquitoes which in turn can give rise to diseases like malaria, dengue, etc and unhygienic conditions.

5.5 That due to the above stated reasons, the Nagar Pallika Parishad, Patera had constructed public toilet under the cleanliness campaign. This construction as per the directions of the Divisional Office of the Joint Director, Urban Administration and Development, Sagar. The construction of the public toilet began in November 2022 and was completed in May 2023. The Septic Tank and Soak Pit has also been constructed.

5.6 That the CMO, Nagar Pallika Parishad, Patera had written to the Tehseeldar, Patera, District Damoh for allocation of land bearing Khasra No. 832 admeasuring area 0.14 Hectares for construction of public toilet. In this regard a declaration was passed by the CMO, Nagar Pallika Parishad on 03.01.2023. This declaration states that the Nagar Pallika Parishad Patera was constituted in 2015, however no public toilet was constructed in the Tehseel patera. The documents related to allocation of land and contraction of public toilet on this land is collectively enclosed as **Annexure-4**.

5.7 That the construction of the public toilet shall be in the public interest and also provide privacy for females. The remaining portion of the land is being covered with solid waste so that no dirty water is accumulated in the land, thus resolving the plights of the local residents and creating hygienic atmosphere near the Bus stand. The land is not used for commercial purpose as contented by the applicant.

5.8 That the report contains the submissions of the Chief Municipal Officer, Nagar Pallika Parishad, Patera on the issues raised in the original application is enclosed herewith as **Annexure-5**.

5.9 That the map of land bearing Khasra No. 832 admeasuring area 0.14 is enclosed herewith as **Annexure-6**.

5.10 Thus the utilization of land bearing Khasra No. 832 admeasuring area 0.14 Hectares was for the construction of public toilet in Tehseel Patera. The same promotes cleanliness and hygiene and being in public interest.

5.11 The Hon'ble Tribunal may take the present Joint Committee Report on record.

(RAKESH SINGH MARKAM)
SDM, TEHSIL HATTA,
DISTRICT DAMOH

(K.P.SONI)
REGIONAL OFFICER,
MPPCB, REGIONAL OFFICE
SAGAR

SUNDAR LAL SONI,
CHIEF MUNICIPAL OFFICER,
NAGAR PALLIKAPARISHAD-
PATERA, DISTRICT DAMOH, MP

ANNEXURE-1

कार्यालय कलेक्टर (व्यवहारवाद) जिला दमोह म0प्र0

क्रमांक क/व्यवहारवाद/2024/ /3213 दमोह दिनांक 18

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय

दीन दयाल नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सागर

1340
3/10/24

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बैंच के प्रकरण क्रमांक 297/2024 द्वारा दिनाँक 04/09/2024 को पारित आदेश के अनुपालन बावत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1157/क्षे.का./प्रनिबो/2024 सागर दिनांक 13/09/2024 ।

-0-

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बैंच के प्रकरण क्रमांक 297/2024 द्वारा दिनाँक 04/09/2024 को पारित आदेश के अनुपालन में संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है। उक्त संयुक्त कमेटी हेतु जिला प्रशासन दमोह की ओर से एक प्रतिनिधि नामांकित किये जाने का लेख किया गया है।

अतः संयुक्त कमेटी हेतु जिला प्रशासन दमोह की ओर से अनुविभागीय अधिकारी (रा0) हटा जिला दमोह को नामांकित किया जाता है।

कलेक्टर 18/9/2
जिला दमोह

पृष्ठांकन क/व्यवहारवाद/2024/ /3213, दमोह दिनाँक 18 /09/2024

प्रतिलिपि:-

अनुविभागीय अधिकारी (रा0) हटा जिला दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर 18/9/2
जिला दमोह

ANNEXURE-2

The lake situated at the nearby land bearing khasra no. 747 admeasuring 7.05 Hectares is used by the residents and other living creatures in this place.

GPS Map Camera
Patera, Madhya Pradesh, India
XMVJ+RW3, Patera, Madhya Pradesh 470772, India
Lat 23.994504°
Long 79.682418°
09/10/24 11:54 AM GMT +05:30
Google

सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानागार
नगर परिषद पटेरा, जिला - दमोह (म.प्र.)
GPS Map Camera
Patera, Madhya Pradesh, India
XMVJ+FXP, Patera, Madhya Pradesh 470772, India
Lat 23.99394°
Long 79.682361°
09/10/24 11:59 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Patera, Madhya Pradesh, India
XMVJ+FWF, Patera, Madhya Pradesh 470772, India
Lat 23.993949°
Long 79.682261°
09/10/24 11:58 AM GMT +05:30
Google
20

GPS Map Camera
Patera, Madhya Pradesh, India
XMVJ+RW3, Patera, Madhya Pradesh 470772, India
Lat 23.994286°
Long 79.682227°
09/10/24 11:50 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Google
Patera, Madhya Pradesh, India
XMVJ+RW3, Patera, Madhya Pradesh 470772, India
Lat 23.994443°
Long 79.682239°
09/10/24 11:53 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Patera, Madhya Pradesh, India
XMVJ+RW3, Patera, Madhya Pradesh 470772, India
Lat 23.994235°
Long 79.682192°
09/10/24 11:48 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Patera, Madhya Pradesh, India
XMVJ+RW3, Patera, Madhya Pradesh 470772, India
Lat 23.994278°
Long 79.68222°
09/10/24 11:48 AM GMT +05:30
Google

पंचनामा।

आज दिनांक 07/10/2024 को अंकित पिता जगदीश ताम्रकार निवासी-पटेरा द्वारा रजिस्ट्रार महोदय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन पीठ-भोपाल को दिए गए आवेदन के संबंध में राजस्व विभाग एवं पटेरा की संयुक्त टीम द्वारा मौजा-पटेरा स्थित भूमि ख.नं. 832 रकबा 0.14 हे. मद पानी म.प्र. शासन का स्थल निरीक्षण किया गया। ख.नं. 832 रकबा 0.14 हे. ग्राम-पटेरा का सार्वजनिक जल स्त्रोत नहीं है उक्त भूमि में पटेरा बस स्टेण्ड की दुकानो का गंदा पानी जमा होता था सार्वजनिक जल स्त्रोत संकट मोचन मंदिर के पीछे स्थित तालाब जो कि ख.नं. 832 के दक्षिण में लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं ग्रामीण जन निस्तार करते हैं। ख.नं. 832 के गंदे पानी का कोई सार्वजनिक उपयोग नहीं होता था गंदा पानी होने के कारण ही नगर परिषद द्वारा सार्वजनिक शौचालय का निर्माण एवं शेष हिस्से में मलवा से पुराव किया गया। ग्रामवासियो द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि ख.नं. 832 में गंदा पानी जमा होता था ग्रामवासियो की सुविधा एवं बस स्टेण्ड के पास स्थित दुकानदारो की मांग के आधार पर एवं साप्ताहिक हाट बाजार में आसपास के ग्रामो से आने वाले लोगो के निस्तार हेतु नगर परिषद पटेरा द्वारा सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया है एवं गंदे पानी का भराव

होने के कारण ग्राम वासियो की मांग के आधार पर शेष बचे रकबे में मलवा से पुराव करवाया गया हैं।

ख नं. 832 रकबा 0.14 हे का पानी गंदा होने के कारण न तो पूर्व में कोई सार्वजनिक उपयोग होता था और न ही वर्तमान मे हो रहा था। ग्रामवासियो की मांग पर शेष बचे रकबे में मलवा से पुराव करवाया गया हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नगर पटेरा मेंन फैल सके।

पंचनामा पढ़कर सुनाया गया।।

7/10/24 C.M.O

7/10/24

P.S.O. प.ह.नं. 29 07/10/2024

मुख्य अधिकारी पटेरा

अध्यक्ष नगर परिषद पटेरा जिला - दमोह (म.प्र.)

[illegible signatures]

ANNEXURE-4

कार्यालय नगर परिषद पटेरा जिला दमोह म.प्र.

क्र/न.प/2024/1377 पटेरा दिनांक 27.09.2024

प्रति

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय
राजस्व हटा जिला दमोह

विषय :– प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत ।
सन्दर्भ :– माननीय रास्ट्रीय हरित प्राधिकरण , भोपाल बेंच क्र. 207/2024 द्वारा दिनांक 04.09.2024 हो पारित आदेश के अनुपालन में ।

विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक अंकित पिता जगदीश ताम्रकार निवासी पटेरा द्वारा श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंटल जोन पीठ भोपाल को दिए गए आवेदन के संबंध में बिंदुवार प्रतिवेद्दन निम्नानुसार है :–

1. राजस्व रिकार्ड के अनुसार पटेरा की जानकारी अनुसार नगर पटेरा में खसरा 832 रकवा 0.14 हे. भूमि मद पानी म.प्र. शासन के नाम से दर्ज है । उक्त भूमि सार्वजानिक जल का स्त्रोत नहीं है । उक्त भूमि में सिर्फ गन्दा पानी जमा होता था, इसमें किसी प्रकार के जीव जंतु एवं गामीणजन निस्तार नही करते है । और न ही इस जल का उपयोग भगवान गणेश जी के मंदिर व भगवान शनि के मंदिर में जल अभिषेक के रूप में करते है। ग्रामीणजन सामने संकट मोचन मंदिर के पास स्थित तालाब खसरा क्र 747 रकवा 7.05 से सार्वजनिक उपयोग करते हैं व उसी में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते है एवं विभिन्न मंदिरो में उसी जल का उपयोग आमजन करते है।

2. यह है की उक्त भूमि दलदंली कीचड एवं जल भराव होने के साथ साथ कचरा रहता था जिसमे मच्छर पनपते थे , जिस कारण मलेरिया डेंगू जैसी बीमारिया फैलने का खतरा रहता था । स्थिति का गंभीरता से लेते हुए मलवे से पुराव कार्य किया गया है । साथ ही सडक पर अस्थाई बस स्टेण्ड होने से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य आम लोगो व जनप्रतिनिधियों की आकांक्षा के अनुरूप कराया गया है।

3. यह कि उक्त भूमि खसरा नंबर 832 रकवा 0.14 हे. मुख्य रोड बस स्टैंड के संमीप स्थित है ,यात्रियों, आम लोगो व जनप्रतिनिधियों की आकांक्षा के अनुरूप

निस्तार कि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी । अतः जनहित के लिए वहाँ शौचालय निर्माण कार्य कराया गया है ।

4. खसरा 832 रकवा 0.14 हे. मुख्य सडक से लगा हुआ है जहां अस्थाई वस स्टेण्ड होने से यात्रियों एवं आम लोगो जनप्रतिनिधियों की आकांक्षा के अनुरूप सार्वजनिक हित में शौचालय निर्माण कराया गया है।

5. आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाही गई थी जिसके जबाव में कार्यालय के पत्र क्र/न.प./लोक सूचना/2024/1052 पटेरा दिनांक 23.07.2024 द्वारा सूचना का अधिंकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) के अंतर्गत किसी 01 बिन्दु की जानकारी हेतु पत्र प्रेषित किया गया था । जिसके संबंध में आज दिनांक तक कोई भी आवेदन प्रस्तुत नही हुआ है। उक्त कार्य जनसुविधा एवं स्वच्छता तथा को दृष्टिगत रखते हुये प्राथमिकता से खसरा 832 रकवा 0.14 हे. मुख्य सडक से लगा हुआ है जहां अस्थाई बस स्टेण्ड होने से यात्रियों एवं आम लोगो जनप्रतिनिधियों की आकांक्षा के अनुरूप सार्वजनिक हित में शौचालय निर्माण कराया गया है।

अतः पालन प्रतिवेदन श्रीमान जी की ओर सादर प्रस्तुत ।

सुन्दर लाल सोनी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पटेरा
जिला दमोह (म.प्र.)

पृ.क्र/न.प./2024/1378
पटेरा दिनांक 27.09.2024

प्रतिलिपि–

1. श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला दमोह की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील पटेरा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सर्व संबंधित श्रीमान ....की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सुन्दर लाल सोनी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पटेरा
जिला दमोह (म.प्र.)

ार्यालय तहसीलदार तहसील पटेरा जिला-दमोह म.प्र.

क्रमांक क/प्रवा.तह./2024 174 पटेरा दिनांक 08.10.2024

प्रति

अनुविभागीय अधिकारी महोदय
हटा जिला-दमोह।

विषयः- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 207/2024 द्वारा दिनांक 04.09.2024 को पारित आदेश के अनुपालन बावत्।

संदर्भः- क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दीनयाल नगर हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी सागर का पत्र क्रमांक 1157/क्षे.का./प्रनिबो/2024 सागर दिनांक 13.09.2024।

.....00.....

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि आवेदक अंकित पिता जगदीश ताम्रकार निवासी पटेरा द्वारा श्रीमान् रजिस्ट्रार महोदय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन पीठ-भोपाल को दिए गए आवेदन के संबंध में राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारियों का दल गठन किया जाकर जांच कराई गई जो निम्नानुसार है:-

1. यह कि ग्राम पटेरा प.ह.नं. 29 में भूमि खसरा नंबर 832 रकवा 0.14 हे. मद पानी म.प्र. शासन के नाम से दर्ज है उक्त भूमि सार्वजनिक जल स्रोत नहीं है सार्वजनिक जल स्रोत उक्त भूमि के दक्षिण में रोड के उस पार खसरा नंबर 747 रकबा 7.05 हे. है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु एवं ग्रामीण जन निस्तार करते हैं। खसरा नंबर 832 रकबा 0.14 हे. में बस स्टैण्ड की दुकानों का गंदा पानी जमा होता था।
2. यह कि नगर परिषद पटेरा द्वारा उपरोक्त भूमि खसरा नंबर 832 में जमा हुए गंदे पानी से बीमारी एवं मच्छरों का प्रकोप खत्म करने के लिए पानी की जगह को मिट्टी एवं मलवा डाला गया है एवं बाहर से आने वाले यात्रियों एवं बस स्टैण्ड के दुकानदारों के निस्तार हेतु सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है।
3. यह कि उक्त भूमि खसरा नंबर 832 रकवा 0.14 हे. बस स्टैण्ड के पास स्थित है ग्रामीण जन उक्त भूमि के पानी से जीवन-यापन नहीं करते थे समीप में स्थित संकटमोचन मंदिर के पास स्थित तालाब खसरा नंबर 747 रकवा 7.05 हे. के पानी से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं।
4. यह कि उक्त विंदु नगर परिषद पटेरा से संबंधित है।
5. यह कि उक्त विंदु नगर परिषद पटेरा से संबंधित है।

अतः प्रतिवेदन श्रीमान् जी की ओर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।

संलग्नः- राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन मय पंचनामा।

तहसीलदार
पटेरा
8.10.24

कार्यालय नगर परिषद पटेरा जिला दमोह म.प्र.

क्र/न.प./2024/लोक सूचना/ 1052 पटेरा दिनांक 23/07/2024

प्रति

श्री सौरभ ताम्रकार
वार्ड नं. 12 Mo. 9300549211

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा सूचना का अधिकार के अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) के अंतर्गत कोई भी एक बिन्दु (विषय) की जानकारी दी जा सकती है। जिस विषय बिन्दु की जानकारी चाही गई है। उक्त विषय को स्पष्ट करें। आवेदन प्रस्तुत करें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पटेरा
जिला दमोह (म.प्र.)

23/7/24

.य नगर परिषद पटेरा, जिला–दमोह (म.प्र.)

/लो0नि0वि0/2022/1942

पटेरा, दिनांक 24/11/2022

श्री नितिन ताम्रकार
वार्ड क्र0 12 शीतला माता मंदिर
निवासी पटेरा जिला–दमोह

:- स्वच्छता सर्वेक्षण को दृष्टिगत रखते हुए बस स्टेण्ड पर सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य के संबंध में।
:- आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 23.11.2022।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि स्वच्छता सर्वेक्षण को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक शौचालय के निर्माण का ले–आउट तहसीलदार महोदया के समक्ष दिनांक 15.11.2022 को बस स्टेण्ड के पास निकाय के स्वामित्व अधिपत्य की भूमि पर प्रदाय किया जा चुका है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत से नगर परिषद का गठन होने पर 0 राजपत्र भोपाल दिनांक 14.11.2011 क्रमांक 52 एफ 1–20–2011–अठारह–3–मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1) (ख) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए ग्राम पंचायत ा से नगर परिषद पटेरा जिला–दमोह को प्रदाय की जा चुकी है। उक्त भूमि के पास बस स्टेण्ड होने के कारण हित एवं आम नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य किया जा रहा है। त स्थल पर पूर्व से तलैया बनी हुई थी। जो कि वर्तमान में स्थल पर ना तो उसमें पानी की मात्रा उपलब्ध है। ही योग्य जल श्रोत है। जिससे कि आम नागरिक निस्तार कर सके या उस पानी का उपयोग कर सके। उक्त या में गंदा पानी एकत्र है। एवं तलैया में अति गंदगी व्याप्त रहती है। एवं उसके पास में ताम्रकार समाज का म्प्लेक्स बना हुआ है। उक्त भूमि से गंदगी को समाप्त कर जनहित में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण का कार्य या जाना है। यदि उक्त भूमि आपकी है, तो आपको इस सूचना पत्र के जरिये सूचित किया जाता है। कि आप त भूमि के स्वामित्व संबंधी अभिलेख सूचना प्राप्ति के 03 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें। अन्यथा कि स्थिति में सन आदेश पालन में कार्य बाधित ना करें। जिससे कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022–23 की रैंकिंग हेतु सार्वजनिक चालय के निर्माण कार्य को शासन आदेश पालन में एवं जनहित से कराया जा रहा है।

अतः उक्त पत्र के संदर्भ में प्रति उत्तर आपकी ओर प्रेषित है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद,पटेरा
जिला–दमोह

पटेरा, दिनांक 24/11/2022

क्र0/न0प0/ लो0नि0वि0/2022/1943

तिलिपिः–

1. मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन संचालनालय भोपाल की ओर आवश्यक सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर महोदय दमोह जिला–दमोह की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हटा जिला–दमोह की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. तहसीलदार महोदया तहसील पटेरा जिला–दमोह की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
6. नगर निरीक्षक महोदय थाना पटेरा जिला–दमोह की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

O/C

(01) 24/11/22 नितिन ताम्रकार

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
.नगर परिषद,पटेरा
जिला–दमोह

Scanned with OKEN Scanner

श्रीमति कमलरानी/दुलीचंद अहिरवार
अध्यक्ष
नगर परिषद – पटेरा
जिला – दमोह (म.प्र.)

निवास –
संत विनोवा भावे, वार्ड नं.07
कुण्डलपुर रोड – पटेरा
मो.7049032007, 7583047542

क्र. 82 दिनाँक.........................

प्रति,

मुख्य नगर पालिका
अधिकारी नगर परिषद
पटेरा जिला दमोह

विषय — तलैया पुराव कार्य बावत।

विषयान्तर्गत लेख है कि वार्ड क्र.01 में बस स्टेंड के पास तलैया है जिसमें वर्षा का पानी एकत्रित होता है। जिससे नगर में बीमारी फैल रही है। एवं बस स्टेंड के दुकानदारों एवं यात्रियों द्वारा वहा पर गंदगी फैलती है।

अत: स्वच्छता को देखते हुये उक्त तलैया में पुराव कराया जावे जिससे बीमारी एवं गंदा पानी एकत्रित न हो सके।

कमलरानी

अध्यक्ष
नगर परिषद पटेरा
जिला - दमोह (म.प्र.)

कार्यालय तहसीलदार तहसील पटेरा जिला-दमोह म.प्र.

क्रमांक क/प्रवा.तह./2024 /74 पटेरा दिनांक 08.10.2024

प्रति

अनुविभागीय अधिकारी महोदय
हटा जिला-दमोह।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 207/2024 द्वारा दिनांक 04.09.2024 को पारित आदेश के अनुपालन बावत्।

संदर्भ:- क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दीनदयाल नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सागर का पत्र क्रमांक 1157/क्षे.का./प्रनिबो/2024 सागर दिनांक 13.09.2024।

.....00.....

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि आवेदक अंकित पिता जगदीश ताम्रकार निवासी पटेरा द्वारा श्रीमान् रजिस्ट्रार महोदय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन पीठ-भोपाल को दिए गए आवेदन के संबंध में राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारियों का दल गठन किया जाकर जांच कराई गई जो निम्नानुसार है:-

1. यह कि ग्राम पटेरा प.ह.नं. 29 में भूमि खसरा नंबर 832 रकबा 0.14 हे. मद पानी म.प्र. शासन के नाम से दर्ज है उक्त भूमि सार्वजनिक जल स्रोत नहीं है सार्वजनिक जल स्रोत उक्त भूमि के दक्षिण में रोड के उस पार खसरा नंबर 747 रकबा 7.05 हे. है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु एवं ग्रामीण जन निस्तार करते हैं। खसरा नंबर 832 रकबा 0.14 हे. में बस स्टैण्ड की दुकानों का गंदा पानी जमा होता था।
2. यह कि नगर परिषद पटेरा द्वारा उपरोक्त भूमि खसरा नंबर 832 में जमा हुए गंदे पानी से बीमारी एवं मच्छरों का प्रकोप खत्म करने के लिए पानी की जगह को मिट्टी एवं मलवा डाला गया है एवं बाहर से आने वाले यात्रियों एवं बस स्टैण्ड के दुकानदारों के निस्तार हेतु सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है।
3. यह कि उक्त भूमि खसरा नंबर 832 रकबा 0.14 हे. बस स्टैण्ड के पास स्थित है ग्रामीण जन उक्त भूमि के पानी से जीवन-यापन नहीं करते थे समीप में स्थित संकटमोचन मंदिर के पास स्थित तालाब खसरा नंबर 747 रकबा 7.05 हे. के पानी से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं।
4. यह कि उक्त बिंदु नगर परिषद पटेरा से संबंधित है।
5. यह कि उक्त बिंदु नगर परिषद पटेरा से संबंधित है।

अतः प्रतिवेदन श्रीमान् जी की ओर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।

संलग्न:- राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन मय पंचनामा।

तहसीलदार
पटेरा
8/10/24

कार्यालय राजस्व निरीक्षक पटेरा तहसील पटेरा जिला-दमोह म.प्र.

श्रीमान् तहसीलदार महोदय
तहसील पटेरा जिला-दमोह।

विषय:- भू-जल की भूमि अर्थात तलैया को मलवा से पुराव कर उस पर शौचालय निर्माण एवं अवैध कब्जा के संबंध में।

.....00.....

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि आवेदक अंकित पिता जगदीश ताम्रकार निवासी पटेरा द्वारा श्रीमान् रजिस्ट्रार महोदय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन पीठ-भोपाल को दिए गए आवेदन के संबंध में राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारियों का दल गठन किया जाकर जांच कराई गई जो निम्नानुसार है:-

1. यह कि ग्राम पटेरा प.ह.नं. 29 में भूमि खसरा नंबर 832 रकवा 0.14 हे. मद पानी म.प्र. शासन के नाम से दर्ज है उक्त भूमि सार्वजनिक जल स्रोत नहीं है सार्वजनिक जल स्रोत उक्त भूमि के दक्षिण में रोड के उस पार खसरा नंबर 747 रकबा 7.05 हे. है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु एवं ग्रामीण जन निस्तार करते हैं। खसरा नंबर 832 रकबा 0.14 हे. में बस स्टैण्ड की दुकानों का गंदा पानी जमा होता था।
2. यह कि नगर परिषद पटेरा द्वारा उपरोक्त भूमि खसरा नंबर 832 में जमा हुए गंदे पानी से बीमारी एवं मच्छरों का प्रकोप खत्म करने के लिए पानी की जगह को मिट्टी एवं मलवा डाला गया है एवं बाहर से आने वाले यात्रियों एवं बस स्टैण्ड के दुकानदारों के निस्तार हेतु सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है।
3. यह कि उक्त भूमि खसरा नंबर 832 रकबा 0.14 हे. बस स्टैण्ड के पास स्थित है ग्रामीण जन उक्त भूमि के पानी से जीवन-यापन नहीं करते थे समीप में स्थित संकटमोचन मंदिर के पास स्थित तालाब खसरा नंबर 747 रकबा 7.05 हे. के पानी से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं।
4. यह कि उक्त विंदु नगर परिषद पटेरा से संबंधित है।
5. यह कि उक्त विंदु नगर परिषद पटेरा से संबंधित है।

अत: प्रतिवेदन श्रीमान् जी की ओर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेपित।

संलग्न:- पंचनामा।
दिनांक :- 07-10-2024

7/10/024
राजस्व निरीक्षक
मंडल पटेरा
तहसील पटेरा

प.ह.नं.29
07/10/2024

ANNEXURE-5

कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर

(7 सिविल लाइंस,सागर, 470001,फोन: 07582--224797,ई–मेल: cesagar@mpurban.gov.in)

क्रमांक / या.प्र. / 2020 / 1062 सागर दिनांक 28.05.2020

प्रति,

1. आयुक्त,नगर निगम सागर
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी
   नगर पालिका / नगर परिषद
   सागर संभाग सागर

विषय : व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के संबंध में।

संदर्भ : संचालनालय से प्राप्त ई–मेल दिनांक 28.05.2020

---0---

विषयांतर्गत प्रमुख सचिव महोदय द्वारा दिनांक 27.04.2020 के वीडियो कान्फ्रेंस में निकाय क्षेत्रों में लंबित व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण 15.06.2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः संलग्न सूची अनुसार संबंधित निकाय लंबित व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण नियत अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें,जो निकाय शौचालयों का निर्माण नहीं कर सरेण्डर करना चाहते है वे तत्काल पत्र द्वारा संचालनालय को सूचित करते हुये एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
सागर संभाग सागर
सागर दिनांक 28.05.2020

पृ.क्रमांक / या.प्र. / 2020 / 1063

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. प्रमुख अभियंता,नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण समस्त सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

28/5/2020

कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
सागर संभाग सागर

2097
29/5/2020

38

कार्यालय नगर परिषद पटेरा जिला दमोह (म.प्र.)

क्र०/न०प०/लो.नि.वि./2020/2685 पटेरा दिनांक 05/09/20

प्रति

श्रीमान तहसीलदार महोदय
पटेरा जिला दमोह

विषय – सार्वजनिक शौचालय बनाये जाने हेतु ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि नगर परिषद पटेरा में बस स्टेण्ड के पास सार्वजनिक शौचालय न होने के कारण यात्रियों एवं नगर के नागरिकों को शौच एवं मूत्र क्रिया हेतु परेशानी होती है।

नगर परिषद पटेरा में दमोह रोड पर तलैया (फुट्टू तलैया) की जमीन पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण कराया जाना समुचित एवं उपयोगी है।

अतः निवेदन है कि उक्त स्थल का खसरा नं., नक्शा एवं रकवा उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पटेरा
जिला–दमोह

O/C

05/9/20

CS CamScanner

कार्यालय नगर परिषद पटेरा, जिला दमोह (म.प्र.)

कार्यालय :– ☎ 07812–213241 फैक्स :– 07812–213243
E-mail - cmopatera@mpurban.gov.in

तरफ से – लोक निर्माण शाखा
नगर परिषद पटेरा

विषय – वार्ड क्र 01 में बाजार क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य के संबंध में।

– उपरोक्त विषय में लेख है कि वार्ड क्र 01 में बाजार क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय न होने के कारण बाजार में आये हुये आम जनता को शौच क्रिया हेतु बहुत परेशानी होती है। अतः बाजार क्षेत्र में उपयुक्त क्षेत्र का परीक्षण किया जाकर सामुदायिक शौचालय बनाया जाना उचित होगा। सामुदायिक शौचालय करवाये जाने की स्वीकृति परिषद की बैठक दिनांक 11.06.2019 के प्रस्ताव क्र 07 के बिन्दु क 35 और परिषद की बैठक दिनांक 23.01.2020 के प्रस्ताव क्र 02 के बिन्दु क्र 12 के द्वारा सर्वसम्मिति से प्रदाय की गई है.। अतः उक्त कार्य को कराये जाने हेतु उपयंत्री स्थल निरीक्षण कराया जाकर कार्य का प्राक्कलन तैयार कराया जाना उचित होगा। उक्त कार्य को कराये जाने हेतु अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत।

PMC

सी.एम.ओ.
पी.एम.सी.

24/01/2020 24/01/2020 24/01/20

अध्यक्ष
नगर परिषद पटेरा
जि दमोह

– श्रीमान् जी के आदेशानुसार वार्ड क्र 01 में बाजार क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य प्राक्कलन राशि रूपये 1773613.1 का तैयार किया गया एवं कार्य की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री महोदय से पत्र क्रमांक/सा. प्र./तक.स्वी/2019/2386 सागर दिनाक 27.02.2020 के द्वारा राशि रूपया 1743165.7 मात्र की प्रदाय की गई। कार्य किस मद से कराया जाना है। कार्य कराये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति परिषद की बैठक दिनाक 23.01.2020 के प्रस्ताव क्र 02 के बिन्दु क्र 09 के द्वारा सर्वसम्मिति से प्रदाय की गई है। उपरोक्त कार्य कराये जाने हेतु निविदा जारी करने की स्वीकृति एवं ऑनलाईन टेण्डर अपलोड किये जाने हेतु 3000 रूपये की स्वीकृति हेतु अवलोकनार्थ आदेशार्थ एवं हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत।

सी.एम.ओ.
पी.एम.सी.

29/02/2020 29/02/2020 29/02/20

अध्यक्ष
नगर परिषद पटेरा
जि दमोह

CamScanner

कार्यालय नगर परिषद पटेरा जिला–दमोह म.प्र.

क्रमांक क/न.पा./2023/46 पटेरा दिनांक–03/01/2023

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि नगर परिषद पटेरा के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022–23 के अंतर्गत ताम्रकार समाज शॉपिंग काम्प्लेक्स के बगल में बस स्टेण्ड के पास भूमि खसरा नंबर 832 रकबा 0.14 हे. में से 50×50=2500 वर्गफुट भूमि पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य निर्माणाधीन है जो कि आम नागरिकों की जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है। स्थल पर वर्तमान में गंदगी आदि व्याप्त रहती है तथा कीचड़ आदि होने के कारण आम नागरिकों को असुविधा उत्पन्न होती है। नगर परिषद का गठन वर्ष 2015 में किया गया था किंतु निकाय के द्वारा सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य नहीं किया गया जिससे कि आम नागरिकों को (पुरूष एवं महिला) प्रशाधन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अतः उक्त व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक जनहित में उक्त स्थल पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य प्रचलित है जिससे आने वाले समय में आम नागरिकों को सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

प्रमाणीकरण आज दिनांक 03.01.2023 को जारी किया गया।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पटेरा जि.दमोह
जिला दमोह (म.प्र.)

CamScanner

कार्यालय नगर परिषद पटेरा, जिला–दमोह (म.प्र.)

क्र0/न0प0/लो0नि0वि0/2022/2250 पटेरा, दिनांक 22/12/2022

प्रति,

तहसीलदार महोदया,
तहसील पटेरा
जिला–दमोह

विषय :– सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु भूमि आबंटन के संबंध में।
संदर्भ :– कार्यालय का पत्र क्र0 2025 दिनांक 05.12.2022।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख कर निवेदन है, कि स्वच्छता सर्वेक्षण कार्य हेतु शहरी क्षेत्र अंतर्गत बस स्टेण्ड पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु भूमि की मांग की गई थी। जिसके अंतर्गत खसरा नंम्बर 829 रकवा 0.08 में से 50×50 की भूमि आबंटन की मांग की गई थी। चूँकि स्थल पर वर्तमान में खसरा नंम्बर 832 रकवा 0.14 पर सार्वजनिक शौचालय के निर्माण का कार्य प्रचलित है।

अतः मौके की वास्तु स्थिति अनुसार खसरा नंम्बर 829 के स्थान पर खसरा नंम्बर 832 रकवा 0.14 की भूमि आवंटन किये जाने हेतु एवं खसरा नंम्बर में सुधार किये जाने हेतु पत्र आपकी ओर सादर प्रेषित है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद,पटेरा
जिला–दमोह

पृ0क्र0/ लो0नि0वि0/न0प0/2022/2251 पटेरा, दिनांक 22/12/2022

1. कलेक्टर महोदय दमोह जिला–दमोह की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद,पटेरा
जिला–दमोह

कार्यालय नगर परिषद पटेरा, जिला–दमोह (म.प्र.)

क्र०/न०प०/स्था०शाखा/2022/8249 पटेरा, दिनांक 22/12/2022

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
दमोह जिला–दमोह

विषय :– सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख कर निवेदन है, कि स्वच्छता सर्वेक्षण कार्य हेतु शहरी क्षेत्र अंतर्गत बस स्टेण्ड पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु भूमि की मांग की गई थी। जिसके अंतर्गत खसरा नंम्बर 829 रकवा 0.08 में से 50×50 की भूमि आबंटन की मांग की गई थी। चूँकि स्थल पर वर्तमान में खसरा नंम्बर 832 रकवा 0.14 पर सार्वजनिक शौचालय के निर्माण का कार्य प्रचलित है।

अतः मौके की वास्तु स्थिति अनुसार खसरा नंम्बर 829 के स्थान पर खसरा नंम्बर 832 रकवा 0.14 की भूमि आबंटन किये जाने हेतु एवं खसरा नंम्बर में सुधार किये जाने हेतु पत्र आपकी ओर सादर प्रेषित है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद,पटेरा
जिला–दमोह

कार्यालय नगर परिषद पटेरा, जिला–दमोह (म.प्र.)

क्र०/न०प०/स्वा०शाखा/2022/2259 पटेरा, दिनांक 22/12/2022

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
दमोह जिला–दमोह

विषय :– सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख कर निवेदन है, कि स्वच्छता सर्वेक्षण कार्य हेतु शहरी क्षेत्र अंतर्गत बस स्टेण्ड पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु भूमि की मांग की गई थी। जिसके अंतर्गत खसरा नंम्बर 829 रकवा 0.08 में से 50×50 की भूमि आवंटन की मांग की गई थी। चूँकि स्थल पर वर्तमान में खसरा नंम्बर 832 रकवा 0.14 पर सार्वजनिक शौचालय के निर्माण का कार्य प्रचलित है।

अतः मौके की वास्तु स्थिति अनुसार खसरा नंम्बर 829 के स्थान पर खसरा नंम्बर 832 रकवा 0.14 की भूमि आवंटन किये जाने हेतु एवं खसरा नंम्बर में सुधार किये जाने हेतु पत्र आपकी ओर सादर प्रेषित है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद,पटेरा
जिला–दमोह

कार्यालय नगर परिषद पटेरा, जिला–दमोह म.प्र.

क्र. /न.प./लोक निर्माण/2022/2025 cmopatera@mpurban.gov.in पटेरा दिनांक 05.12.2022

प्रति,

श्रीमान् कलेक्टर महोदय
दमोह जिला दमोह
म.प्र.

विषय :– सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु भूमि आवंटन किये जाने के संवंध में।

महोदय

विषयांतर्गत लेख है कि, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत नगर परिषद पटेरा में बस स्टेण्ड के पास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है, उक्त कार्य हेतु खसरा नं. 829 में से 50×50 की भूमि को आंवटन की मांग किये जाने हेतु R.C.M.S. पोर्टल पर दिनांक 23.11.2022 को दर्जकर मांग की गई है। जिसका आवेदन क्रमांक 0811280703029–APP-15725518 है।

अतः उक्त भूमि के संबंध में मूलदस्तावेज भूमि आवंटन हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न–

1. भूमि का खसरा
2. R.C.M.S. पोर्टल का आवेदन पत्र

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पटेरा
जिला दमोह

पृष्ठा0क्र0/न.प./लोक निर्माण/2022/2026 पटेरा दिनांक 05.12.2022

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार महोदया तहसील पटेरा जिला दमोह की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पटेरा
जिला दमोह

01
05/12/22

//स्वस्थ्य रहे एवं स्वच्छ रहे।।

कार्यालय नगर परिषद पटेरा जिला दमोह (म.प्र.)

क्र0/न0प0./लोक.निर्माण/2022/ पटेरा दिनांक..................

प्रति

तहसीलदार महोदय
पटेरा जिला दमोह

विषय :– सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के लिए भूमि के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि नगर परिषद पटेरा क्षेत्रांतर्गत जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बस स्टेंड के पास सार्वजनिक शौचालय के निर्माण का टेण्डर जारी किया गया था, पूर्व में बस स्टेंड के पास रकवा नं0 832 की जमीन पर सार्वजनिक शौचालय के निर्माण की योजना बनायी गयी थी। उक्त जमीन पर अतिक्रमण होने के कारण निर्माण कार्य नही कराया गया। कृप्या उक्त जमीन का सीमांकन अथवा किसी अन्यत्र शासकीय स्थल पर सार्वजनिक शौचालय हेतु (~~50×40~~ Feet) 30'×30' की जगह का सीमांकन कराने का कष्ट करें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पटेरा
जिला दमोह

पृष्ठा0क्र0/लोक निर्माण/2022/ पटेरा दिनांक..............................

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय दमोह की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व हटा जिला दमोह की ओर अग्रिम कार्यवाही एव सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर-परिषद पटेरा
जिला–दमोह

घर से निकलने के पूर्व मास्क अवश्य लगायें।

कार्यालय नगर परिषद पटेरा, जिला–दमोह म.प्र.

ई–मेल– cmopatera@mpurban.gov.in

/न0प0/लो0नि0वि0/2021/800 पटेरा दिनांक 17.06.20

कार्य आदेश

प्रति,

पुष्पेंद्र सोनी कॉन्ट्रेक्टर
पटेरा जिला दमोह

विषय :– नगर परिषद पटेरा अंतर्गत शुलभ शौचालय निर्माण हेतु कार्य आदेश ।

संदर्भ :– आपकी निविदा सूचना दिनांक 02/03/2020 आपका कार्यादेश दिनांक 17.06.2021

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि नगर परिषद पटेरा शुलभ शौचालय निर्माण कार्य हेतु आपके द्वारा निविदा में भाग लिया गया था। जिसकी दरें परिषद की बैठक दिनांक 0 2021 के द्वारा स्वीकृति प्रदाय की गई है एवं दिनांक 17.06..2021 के अनुबंध के अनुसार निविदा की मापदण्डों के अनुसार निर्माण कार्य करायें।

17/06/021

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद,पटेरा
जिला–दमोह

पृ0क्रं0/न0प0/लो0नि0वि0/2021/801 पटेरा दिनांक 17.06.202

प्रतिलिपि:–

1. श्रीमान् प्रशासक महोदय नगर परिषद पटेरा जिला दमोह की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित

17/06/021

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद,पटेरा
जिला–दमोह

प्राप्त किया
पुष्पेंद्र सोनी
23/6/21

कार्यालय नगर परिषद पटेरा जिला दमोह (म.प्र.)

क्रमांक / न.प. / 2020 3039 पटेरा दिनांक 28/11 /2020

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील पटेरा
जिला दमोह

विषयः– सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु भूमि आरक्षित करने के संबंध में।

–000–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि नगर परिषद पटेरा के वार्ड क्र 01 में बस स्टेण्ड के पास तालाब के किनारे जो शासकीय भूमि है उस पर लोगो के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। उक्त भूमि पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य करने के लिये भूमि आरक्षित करने की स्वीकृति प्रदान करें जिससे जनमानस को योजना का लाभ मिल सके।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पटेरा
जिला दमोह

28/11/2020

O/C

कार्यालय नगर परिषद पटेरा जिला दमोह (म.प्र.)

प्रशासक महोदय की बैठक दिनांक 02/08/22......

प्रस्ताव क्रमांक 121	संकल्प क्रमांक 121
विषय:– नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत सार्वजनिक शौचालय की भूमि के आवंटन हेतु कलेक्टर महोदय को आवेदन किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। . मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद पटेरा जिला दमोह	प्रकरण प्रस्तुत हुआ मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर परिषद पटेरा द्वारा ऑनलाईन टेण्डर क्रमांक 2020–UAD_82441 से दिनांक 02.03.2020 को वार्ड क्रमांक 01 में बाजार क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु राशि 15,56,400 का टेण्डर जारी कर प्राप्त न्यूनतम दर 9.96% अधिक पुष्पेन्द्र सोनी की प्रशासक महोदय की बैठक दिनांक 08.03.2021 प्रस्ताव क्रं.–22 द्वारा प्राप्त की जाकर दिनांक 17.06.2021 को ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया गया। उपरोक्त शौचालय निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अतः निकाय क्षेत्र अंतर्गत खसरा क्रमांक 829 रकवा 0.08 हेक्टेयर की भूमि शौचालय एवं दुकान निर्माण के आवंटन हेतु कलेक्टर महोदय को Rcms पोर्टल के माध्यम से भूमि आवंटन हेतु आवेदन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। मैं प्रशासक नगर परिषद पटेरा प्रस्ताव पारित करती है। 02/08/22 प्रशासक नगर परिषद पटेरा जिला दमोह

कार्यालय नगर परिषद पटेरा जिला दमोह (म.प्र.)

प्रशासक महोदय की बैठक दिनांक 02/08/22

प्रस्ताव क्रमांक 121	संकल्प क्रमांक 121
विषयः– नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत सार्वजनिक शौचालय की भूमि के आवंटन हेतु कलेक्टर महोदय को आवेदन किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद पटेरा जिला दमोह	प्रकरण प्रस्तुत हुआ मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर परिषद पटेरा द्वारा ऑनलाईन टेण्डर क्रमांक 2020–UAD_82441 से दिनांक 02.03.2020 को वार्ड क्रमांक 01 में बाजार क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु राशि 15,56,400 का टेण्डर जारी कर प्राप्त न्यूनतम दर 9.96% अधिक पुष्पेन्द्र सोनी की प्रशासक महोदय की बैठक दिनांक 08.03.2021 प्रस्ताव क्रं.–22 द्वारा प्राप्त की जाकर दिनांक 17.06.2021 को ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया गया। उपरोक्त शौचालय निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अतः निकाय क्षेत्र अंतर्गत खसरा क्रमांक 829 रकवा 0.08 हेक्टेयर की भूमि शौचालय एवं दुकान निर्माण के आवंटन हेतु कलेक्टर महोदय को Rcms पोर्टल के माध्यम से भूमि आवंटन हेतु आवेदन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। मैं प्रशासक नगर परिषद पटेरा प्रस्ताव पारित करती है। 02/08/22 प्रशासक नगर परिषद पटेरा जिला दमोह

बस स्टैण्ड फुट्टू तलैया पटेरा

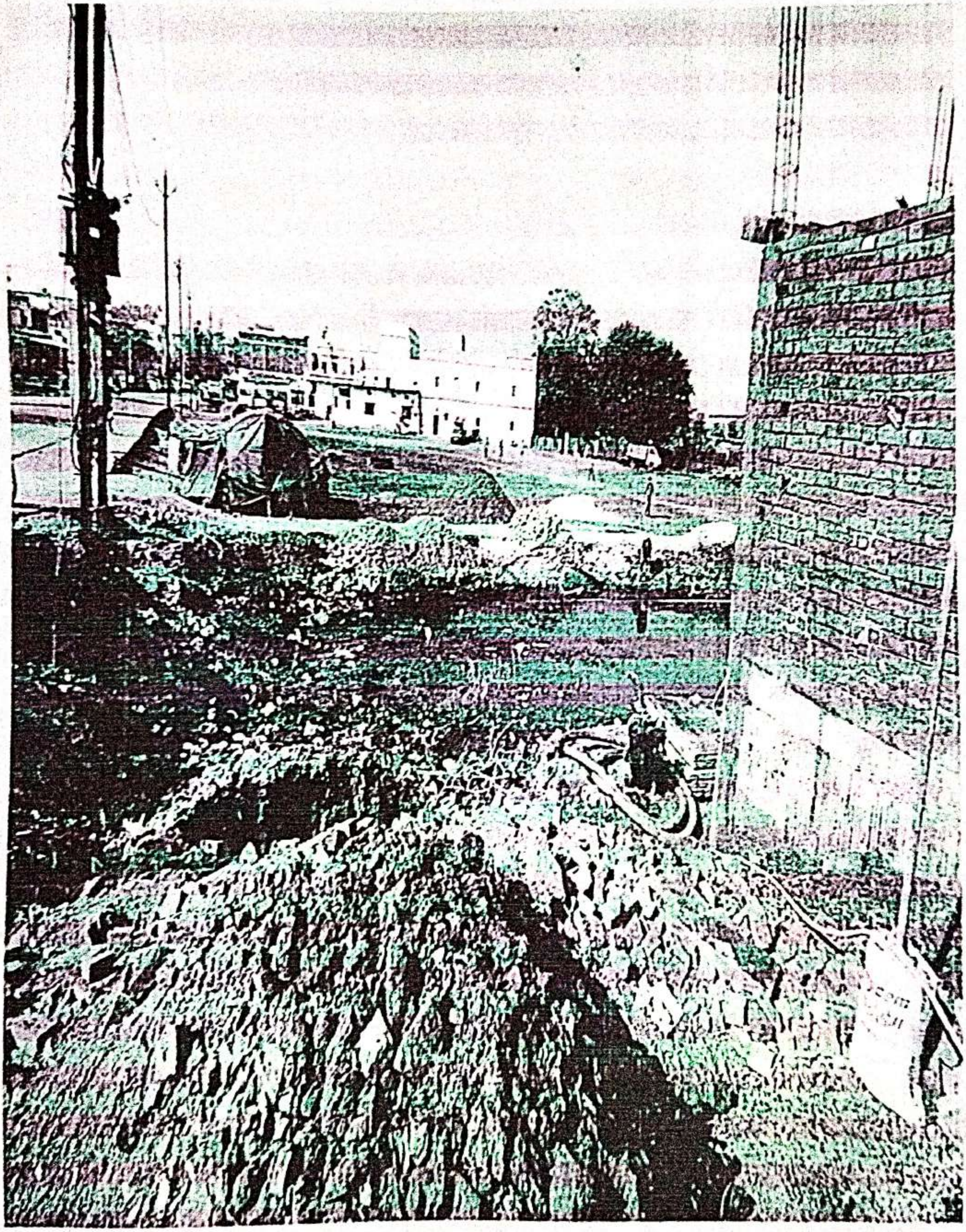

कीचड़ युक्त जलाशय जिसमें सम्पूर्ण बस स्टैण्ड की गन्दगी एवं कचरा एकत्रित होता है।

कार्यालय नगर परिषद पटेरा, जिला—दमोह म.प्र.

क्र. /न.प./लोक.नि/2022/1956 mopatera@mpurban.gov.in पटेरा दिनांक 25.11.2022

नोटिस

प्रति

श्री पुष्पेन्द्र सोनी
पटेरा जिला दमोह

विषय :— नगर परिषद पटेरा में शुलभ शौचालय निर्माण कार्य के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा नगर परिषद पटेरा में शुलभ शौचालय निर्माण किये जाने हेतु कार्य आदेश दिनांक 17.06.2022 को दिया गया था। भमि का चिन्हाकंन तहसीलदार महोदया द्वारा दिनांक 15.11.2022 को ले आउट देकर किया गया था, उक्त स्थल पर ले आउट के समय थाना प्रभारी एवं नगर पालिका के कर्मचारी उपस्थित थे।

चूकि यह कार्य शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वीकृत है। जिसका कार्य अतिशीघ्र करवाया जाना है। आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य प्रारंभ नही किया गया है। जोकि यह दर्शाता है कि आप निर्माण कार्य करने के इच्छुक नही है। पत्र प्राप्ति के 1 दिवस के अन्दर स्थल पर कार्य प्रारम्भ करें, अन्यथा अनुवंध की शर्तो के अनुसार वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पटेरा
जिला — दमोह

कार्यालय नगर परिषद पटेरा, जिला—दमोह म.प्र.

क्र. /न.प. /लोक.नि /2022 /1957 mopatera@mpurban.gov.in पटेरा दिनांक 25.11.2022

नोटिस

प्रति

श्री पुष्पेन्द्र सोनी
पटेरा जिला दमोह

विषय :— नगर परिषद पटेरा में शुलभ शौचालय निर्माण कार्य के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा नगर परिषद पटेरा में शुलभ शौचालय निर्माण किये जाने हेतु कार्य आदेश दिनांक 17.06.2022 को दिया गया था। भूमि का चिन्हाकंन तहसीलदार महोदया द्वारा दिनांक 15.11.2022 को ले आउट देकर किया गया था, उक्त स्थल पर ले आउट के समय थाना प्रभारी एवं नगर पालिका के कर्मचारी उपस्थित थे।

चूकि यह कार्य शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वीकृत है। जिसका कार्य अतिशीघ्र करवाया जाना है। आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्य प्रारंभ नही किया गया है। जोकि यह दर्शाता है कि आप निर्माण कार्य करने के इच्छुक नही है। पत्र प्राप्ति के 1 दिवस के अन्दर स्थल पर कार्य प्रारम्भ करें, अन्यथा अनुबंध की शर्तो के अनुसार वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पटेरा
जिला — दमोह

पृष्ठा0क्र0 / न0प0 / लोक नि. / 2022 / 1957 पटेरा दिनांक 25.11.2022

प्रतिलिपि :—

1. तहसीलदार महोदय तहसील पटेरा पटेरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पटेरा
जिला — दमोह

25/11/22

कार्यालय नगर परिषद पटेरा, जिला–दमोह म.प्र.

क्र. /न.प./लोक नि./2023/55 cmopatera@mpurban.gov.in पटेरा दिनांक 04.01.2023

प्रति

मिशन संचालक महोदय
संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल म.प्र.

विषय :–सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु शेष राशि प्रदाय करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत नगर पालिका के द्वारा बस स्टेण्ड के पास वार्ड क्रमांक–01 में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य प्रचलित है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति 15.56 लाख की प्राप्त हुई थी जिसके अंतर्गत प्राप्त निकाय दर SOR से 9.96% अधिक की प्राप्त हुई थी जिसके विरुद्ध राशि रुपये 3.59 जाख प्राप्त हुई है। उक्त कार्य की शेष राशि 1353700/–रुपये प्रदान किये जाने हेतु पत्र आपकी ओर सादर संप्रेषित है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पटेरा
जिला – दमोह

पृ0क्रं0/लो0नि0वि0/न0प0/2023/56 पटेरा दिनांक 4-1-2023

प्रतिलिपिः–

1. कार्यपालन यंत्री महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. सहायक मिशन संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर की ओर सादर सूचनार्थ ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पटेरा
जिला – दमोह

लोक निर्माण विभाग

CS CamScanner

कार्यालय नगर परिषद पटेरा, जिला–दमोह म.प्र.

क्र. /न.प./लोक नि./2023/55 cmopatera@mpurban.gov.in पटेरा दिनांक 04.01.2023

प्रति

मिशन संचालक महोदय
संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल म.प्र.

विषय :–सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु शेष राशि प्रदाय करने के संबध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत नगर पालिका के द्वारा बस स्टेण्ड के पास वार्ड क्रमांक–01 में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य प्रचलित है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति 15.56 लाख की प्राप्त हुई थी, जिसके अंतर्गत प्राप्त निकाय दर SOR से 9.96% अधिक की प्राप्त हुई थी जिसके विरुद्ध राशि रुपये 3.59 लाख प्राप्त हुई है, तथा कार्य का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	कार्य का नाम	लागत राशि	प्रदाय राशि	द्वितीय राशि	रिमार्क
1	सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य	15.57 लाख	3.59 लाख	–	भूमि आंवटन के कारण कार्य में देरी हुई है। दिनांक 20.12.2022 को कार्य चालू हुआ है। कार्य की फुटिंग हो चुकी है। कार्य का देयक तैयार किया जा रहा है। जनसुविधा की दृष्टि को देखते हुये द्वितीय किश्त 1353700 रुपये प्रदाय करने कर कष्ट करें।

उक्त कार्य की द्वितीय किस्त की राशि 1356700/– प्रदाय किये जाने हेतु पत्र सादर सम्प्रेषित ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पटेरा
जिला – दमोह

पृ0क्रं0/लो0नि0वि0/न0प0/2023/56 पटेरा दिनांक 04.01.2023

प्रतिलिपिः–

1. कार्यपालन यंत्री महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. सहायक मिशन संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर की ओर सादर सूचनार्थ ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पटेरा
जिला – दमोह

लोक निर्माण विभाग

CamScanner

ANNEXURE-6

नजरी नक्शा

ग्राम - पटेरा खास
प.ह.नं. - 29
तहसील - पटेरा
जिला - दमोह

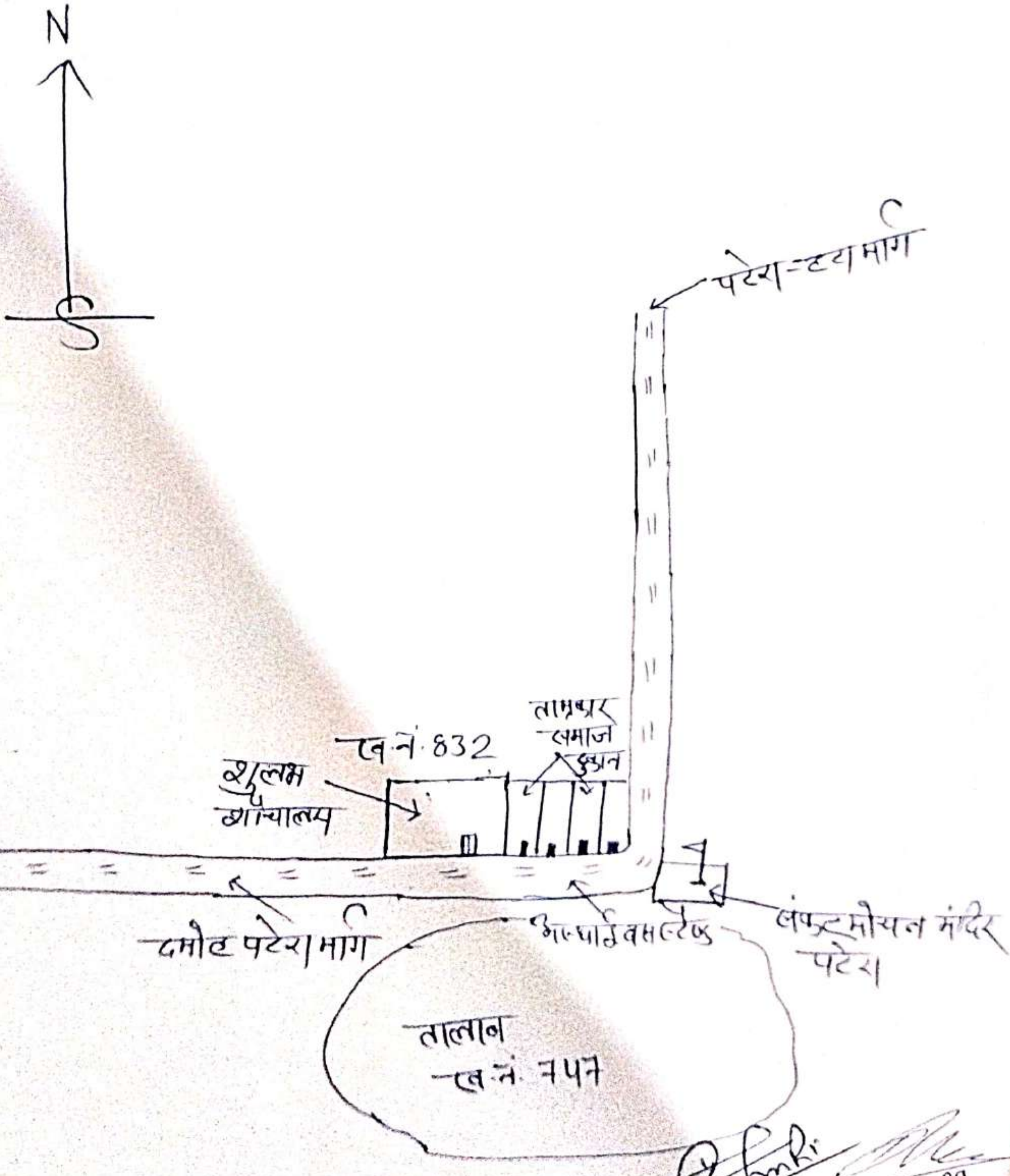

7/10/24
प.ह.नं. 29
07/10/2024